



# कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, म. प्र.

## उपक्षेत्रीय कार्यालय

132 झोन II, एम. पी नगर, भोपाल - 462011 (म. प्र.)

### पंजीकृत-पावती

संख्या / म.प्र./उप.क्षे.का./भोपाल/21940/प्रयोज्यता कक्षा/2828 दिनांक 28/12/2010  
प्रति, 5806

मेसर्स Rukhmani Devi Public School  
NH-12, Narsinghpur Rd.  
Near Jharkheda,  
Dist - Sehore

विषय :- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम और उसके अंतर्गत रचित योजनाओं का मेसर्स Rukhmani Devi Public School पर लागू होना।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित विवरण/और आपकी स्थापना का भविष्य निधि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-

(क) विषयांकित स्थापना/फैक्ट्री जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों अनुसूची -1 में शामिल School कार्य में लगी हुई है।

(ख) उक्त स्थापना/फैक्ट्री में माह/दिनांक 28-11-2010 को 20 व्यक्ति कार्यरत है। तथा

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 1 (3) और उसके अंतर्गत रचित योजनाएँ उपरोक्त नामित स्थापना फैक्ट्री इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर हैं। अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं 28-11-2010 तारीख से स्थायी / अस्थायी रूप से लागू है। इसके अतिरिक्त दिनांक में परिवर्तन किया जा सकेगा। स्थापना के पूर्व रिकार्डों की जांच होने के पश्चात स्थायी व्याप्ति का निर्णय लिया जावेगा।

(घ) आपके आवेदन पत्र सं. .... दिनांक ..... के संदर्भ में आपको म. प्र. उप. क्षे. का./ भोपाल ..... मेसर्स ..... की इकाई मानते हुए प्रशासनिक आधार पर कोड सं. म. प्र./उप.क्षे.का./भोपाल ..... धारा 2 (अ) के अंतर्गत आवंटित किया जाता है। कृपया नोट कर लें कि इससे स्थापना की मूल आवृत्ति प्रभावित नहीं होगी इसे सभी प्रयोजनों (क्षतिमूल्य आदि) के लिए मूल यूनिट का अनिवार्य अंग माना जाएगा।

(ङ) अधिनियम की धारा 1 (4) के अंतर्गत स्थापना के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन - पत्र के संदर्भ में आपकी स्थापना को दिनांक ..... से कोड म. प्र. क्षे. का./भोपाल/ ..... आवंटित की जा रही है। जब तक की कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 1 उपधारा 4 के अंतर्गत

PRINCIPAL

Rukhmani Devi Public School  
Near Jharkheda (Sehore)



2. आपकी स्थापना को जो संख्या म. प्र./उप. क्षे. का. भोपाल/..... कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाओं अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 कर्मचारी पेंशन योजना/ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड संख्या इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।
3. यदि आपने अभी तक अनुपालन नहीं किया हो तो आपको दिनांक ..... से ..... % दर से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 तथा कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 / कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के प्रावधानों का अनुपालन करना है।
4. आपको अपने सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में पिछले सभी महिनो..... से ..... तक भविष्य निधि का कुल अंशदान एवं प्रशासकीय प्रभार भविष्य निधि खाता क्रमांक 1 व 2 में कर्मचारी परिवार पेंशन निधि अंशदान/कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का अंशदान खाता क्रमांक 10 में तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना से संबंधित अंशदान एवं प्रशासकीय प्रभार भविष्य निधि खाता क्रमांक 21 एवं 22 में पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जमा करना है।

नोट : (कृपया अधिक जानकारी हेतु संलग्न अनुदेश देखें एवं पत्र व अनुग्रहकों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें।)

अनुलग्नक : 1, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 कर्म. परि. पेंशन योजना, 1971/ कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को लागू करने से संबंधित निर्देश।

2. प्रारूप 9. (संशोधित-9), 3ए/6ए 12ए, 5 "क", 2,5/10, चालान

सतीश चन्द्र  
सहायक भविष्य निधि आयुक्त,  
कृते/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
उपक्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र./उप.क्षे.का./भोपाल/...../प्रयोज्यता कक्ष/ दिनांक .....

1. श्री ..... प्रवर्तन अधिकारी/भविष्य निधि संगठन को अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उन्हें 30 दिन के अंदर स्थायी व्याप्ति रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं।
2. लेखा अनुभाग ..... यदि इस फेक्ट्री/संस्थापना के पास भविष्य निधि से संबंधित ऐसी राशि है/नहीं है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है। अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभिव्यक्तियों के साथ नोट करें। तथा अनुपालन के रिपोर्ट प्रवर्तन अनुभाग को प्रेषित करें।
3. प्रवर्तन अनुभाग.....
4. कम्प्यूटर अनुभाग.....

सहायक भविष्य निधि आयुक्त,  
.....